सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 12, सोमवार, *शाके* 1947- जून 02, 2025

Jyaistha 12, Monday, Saka 1947- June 02, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2025

संख्या एफ 9(922)परि/आरटीए/मु./2022/ 6662 :-भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 162(ई) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है:-

निर्देश

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में स्टेज कैरिज के रूप में संचालित होने वाले 8 से 10 सीट के चौपहिया वाहनों एवं मिनी बसों की संख्या को सीमित कि ये जाने की दृष्टि से स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाले 8 से 10 सीट के चौपहिया वाहनों एवं मिनी बसों की मार्गवार अधिकतम संख्या पृथक-पृथक निर्धारित की जाये। अत: जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय क्षेत्र में पडने वाले मार्गो पर स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाले 8 से 10 सीट के चौपहिया वाहनों एवं मिनी बसों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर प्रथम एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वितीय को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई सारणी-1 में वर्णित विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मिनी बसों तथा सारणी-2 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक 8 से 10 सीट के चौपहिया वाहनों के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत नहीं करेंगे और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा-पत्रों की अधिकतम संख्या का क्रमश: 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी – 1

जयपुर नगरीय क्षेत्र में स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाली मिनी बसों के लिये निम्न वर्णित 16 स्वीकृत मार्गो हेतु अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.स.	मार्ग का नाम	वाहनों की अधिकतम संख्या
1.	सिटी मार्ग संख्या 3 मालवीय नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया से बिन्दायका	100
2.	सिटी मार्ग संख्या 7 हाथोज से खातीपुरा फाटक	150
3.	सिटी मार्ग संख्या 8 मालवीय नगर सेक्टर 5,6,7 से भांकरोटा	80
4.	सिटी मार्ग संख्या 9 नारदपुरा जेडीए कॉलोनी से बिन्दायका सिवार गांव	80
5.	सिटी मार्ग संख्या 11 नाडी का फाटक से गोनेर मोड	200

6.	सिटी मार्ग संख्या 29 कूकस बन्धा डेन्टल कॉलेज से भांकरोटा	175
7.	सिटी मार्ग संख्या 32 मुहाना से लालचन्दपुरा	100
8.	सिटी मार्ग संख्या 35 गोनेर फाटक से विश्वकर्मा रोड	120
9.	मार्ग संख्या 36 पोद्दार सर्किल से चार दरवाजा	60
10.	मार्ग संख्या 37 कनकपुरा रेल्वे स्टेशन (अशोक विहार) से प्रताप नगर कुम्भा मार्ग सेक्टर 26	160
11.	मार्ग संख्या 36 भट्टा बस्ती शास्त्री नगर से कूकस	300
12.	मार्ग संख्या 39 आमेर से रेल्वे स्टेशन	70
13.	मार्ग संख्या 40 गोनेर रोड जगतपुरा बस स्टेण्ड नं 7 से सांगानेर थाना	40
14.	मार्ग संख्या 41 पत्रकार कॉलोनी (खुशी विहार) से इण्डस्ट्रियल एरिया	200
15.	सिटी मार्ग संख्या 42 जिनस फैक्ट्री से निंदर मोड	100
16.	सिटी मार्ग संख्या 43 जेडीए कॉलोनी नारदपुरा से मुहाना मण्डी सांगानेर	100

सारणी – 2

जयपुर नगरीय क्षेत्र में स्टैज कैरिज के रूप में संचालित होने वाले 8 से 10 सीट के चौपहिया वाहनों के लिये निम्न वर्णित 8 स्वीकृत मार्गो हेतु अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.स.	मार्ग का नाम	वाहनों की अधिकतम संख्या
1.	हीरापुरा बस टर्मिनल से बिन्दायका (RTO-II)	50
2.	वा टिका से हीरापुरा बस टर्मिनल	50
3.	हीरापुरा बस टर्मिनल से मुहाना	50
4.	खटवाया से देवरी रिद्धि सिद्धि	50
5.	हीरापुरा बस टर्मिनल से नर्सरी सर्किल	50
6.	निवारू रोड से भांकरोटा (RTO-II)	50
7.	हीरापुरा बस टर्मिनल से बेनाड (RTO-II)	50
8.	हीरापुरा बस टर्मिनल से हाथोज (RTO-II)	50

राज्यपाल की आज्ञा से,
ओम प्रकाश बुनकर,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।